

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलज जज न्यायालय 34-2005 अधिकारी बुन्देलखण्ड जिला मीरजापुर श्रीमती गेम्मी कलसे कानून की सौल 2005 के किरण - पत्र पत्र 78-71/14	नम्बर अहम हुक्म में
20-4-17	- पठावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुप वकील अपार्थी उपा अपार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रापत्र अन्तर्गत धारा 0-7, R-11, CPC मूल वाद में प्रस्तुत किया। प्रार्थी प्रापत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करें। पठावली वाले प्रापत्र जवाब/बहस हेतु दि 29-6-17 को पेश हो।	
10-6-17	पठावली आज राजस्व लोक किडालर केम्प वरण में पेश हुई। उभयपक्ष अनुप। इस प्रकार से संबंधित मूल वाद सद 7/14 अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) 188 R7 Act- शिविर के दौरान अट- अनुपासना में खारिज का निर्णय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मौजूदा प्रापत्र बाबत स्पष्टान में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जा रही है। आदेशिका दिनांक 14-5-17 से जारी अनिश्चित अस्थायी निषेधना को समाप्त करते हुए पठावली नम्बर से कम की जाकर फंक्शन समाप्त हो।	

अधिवक्ता अथवा वकील
जिला मीरजापुर बुन्देलखण्ड